राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2415/2022

डॉ. शिल्पा शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद, सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आयुर्वेद, सचिवालय, जयुपर।
3. निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर, राजस्थान।
4. डॉ. मुकेश चौधरी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, वर्तमान में पदस्थापित राजकीय आयुर्वेद औषधालय, झाग, दूदू, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.07.2022
आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाइ की गई। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 12637/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2022 द्वारा निर्देश दिये कि "Considering the medical report of petitioner's son, submitted by the counsel of the petitioner, the writ petition stands disposed of with direction to the Tribunal to decide the pending appeal within a period of one month"

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, झाग, दूदू, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.08.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किया गया। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 11.09.2021 को कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण किया गया था। अपीलार्थी का 09 माह की अल्पावधि में ही प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक

18.07.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोरला, मालपुरा, टोंक निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी के कॉलम के सम्मुख कोई प्रशासनिक आवश्यकता संबंधी कोइ टिप्पणी अंकित नहीं की गई है, जोकि बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए हुए जारी किया गया है तथा राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 17(1)(4) का उल्लंघन है। अपीलार्थी क पति निजी अस्पताल, निम्स (NIMS) जयपुर में पदस्थापित है तथा अपीलार्थी के पुत्र के बोलने की बीमारी से पीड़ित है, जिसका स्पीच थैरेपी का ईलाज जयपुर में चल रहा है (अनुलग्नक–3)।

अतः उक्त आधारा पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को निरन्तर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, झाग, दूदू, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एव समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई एकाधिकार नहीं है राज्य सरकार प्रशासन को चुस्त एवं दुरूस्त बनाने हेतु समय–समय पर प्रशासनिक कारणों से अपने कार्मिक की सेवाएं कही पर लेने हेतु राज्य हित में स्वतंत्र है। प्रत्येक लोकसेवक का प्रथम दायित्व है कि वह अपनी राजकीय सेवाएं उत्कृष्ट रूप से दे। इस प्रकार कर्मचारी/अधिकारी के पदस्थापन पर पूर्ण रूप से नियोजक का क्षेत्राधिकारी है, वह अपने लोकसेवक का कहा तथा किस समय स्थानान्तरण करता है। सक्षम अधिकारी अपीलार्थी का नियोजक है और प्रशासनिक कारणों से किया गया पदस्थापन उनके क्षेत्राधिकार में है। आलोच्य आदेश प्रशासनिक कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार पारित किया गया है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के जवाब पर जवाब–उल–जवाब पेश कर कहा है कि अपीलार्थी का पुत्र Autism की बीमारी से वर्ष 2019 से पीड़ित है। जिसे स्पीच एवं भाषा थैरेपी की आवश्यकता है। The Rights of persons with disabilities act, 2016 के नियम 2 (**b**) के अनुसार दिमागी विकास की हालत के लिए तीन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जो बच्चे के बोलने तथा योग्यता आदान–प्रदान रिश्तेदारी की समझ तथा अन्य से किस प्रकार व्यवहार किए जाने का होता है, जिसमें उक्त बीमारी में बच्चे की विशेष देखभाल की आवश्यकता है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1243/2022 एस.के. नौशाद रहमान एवं अन्य

बनाम भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.03.2022 (अनुलग्नक–5) एवं Commissioner of income Tax Vs. M/s Sun Engineering works Private Limited (AIR 1993, SC 43) (अनुलग्नक–6) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख स यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का पुत्र Autism की गंभीर बीमारी से वर्ष 2019 से पीड़ित है। जिसे स्पीच एवं भाषा थैरेपी की आवश्यकता है। अतः उक्त बीमारी में बच्चे के सतत इलाज एवं विशेष देखभाल की आवश्यकता है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समोचीन समझते हैं कि अपीलार्थी तीन सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में चार सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य